



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(प्रारूप - "अ")

GE 805198

Serial no. ५९०

Date २९-६-२०२१ राय एवं सजय कुमार राय कमश अध्यक्ष एवं सचिव श्री रुद्र शैक्षिक एवं सामाजिक विकास ट्रस्ट देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर शपथपूर्वक निम्नवत् वयन करते हैं -

1 यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा श्री रुद्र शिव एस एन एस के इस्टिट्यूट ऑफ एजुकेशन 67, मौजा भगीरथपुर, देवा, दुल्लहपुर, गाजीपुर नामक डिप्लोमा इन फार्मेसी स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।

2 यह कि हमारी सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम मौजा भगीरथपुर में गाटा संख्या 67 रकवा 0 8090 हेक्टेयर (कुल रकवा 0 8090 हेक्टेयर) भूमि है।

3 यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में नहीं चल रहा है, और भूमि विवाद रहित है।

4 यह कि, उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा संख्या 67 रकवा 0.8090 हेक्टेयर (कुल रकवा 0 8090 हेक्टेयर) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मेसी स्थापना की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी / ट्रस्ट की बैठक दिनांक 25/06/2021 द्वारा पारित किया गया है।

5 कि, उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मेसी स्थापना के संचालन हेतु अवरों का निर्माण अनुमति देने के अनुसार किया गया है।



गुरु राम द्वारा

८३८

१३-२-२०२३

संग्रह अधिकारी का लोगों का विवर १२३४  
कुल्लड (गो)

१००/-

द्वादश तिवारी स्थाय विक्रेता  
लाइनो-३४  
कलेक्टर कघरी, गाजीपुर  
जारी की अवधि 31 मार्च 2025

6 यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी / ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

7 यह कि, इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अतिरिक्त ही डिप्लोमा फार्मसी संस्थान का ही सचालन किया जायेगा।

8 यह कि, इस संस्था में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रयोगशाला के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण पदान किया जायेगा।

9 यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद / विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित / सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान / विद्यालय / महाविद्यालय / आईटीआई आदि का सचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही अविष्य में कभी किया जायेगा।


10. यह कि, संस्थान के सचालन हेतु आवश्यक कलास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुरक्षित किया जायेगा।

11 यह कि, संस्था के सचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी / ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।

12 यह कि, शासन / परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों / आदेशों का भलीभांति पालन करेंगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थानीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।

13 मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख / दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा चुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

NOTARY  
MANISHA



श्री रघु लीडिंग्स एवं एन्ड ऑफिस नियमानुसार  
दो इनकार नहीं हैं।  
20/07/2014

MANISHA

29/08/2023  
Himachal Pradesh  
300184  
Gangotri  
Kullu  
Shimla  
Chandigarh  
Mandi  
Kangra  
Solan  
Dharamshala  
Koti  
Bilaspur  
Bathinda  
Jalandhar  
Amritsar  
Ranbir Singh  
29/08/2023

NOTARY  
CHAMPAGNE



Gangotri (H)

S  
29/08/2023